आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित 3
09/2/18	**आदेश** अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के द्वारा प्रथम अपील में दिनांक–02.11.2017 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने के स्थिति में परिवादी बबलु हरिजन, पिता–रघु हरिजन, ग्राम–कठचातर, पोस्ट–लीलातरी, प्रखंड–रजौन, जिला–बांका के द्वारा द्वितीय अपील दायर किया गया है जिसका अनन्य संख्या– 523110122051701506/2A वर्ष–2017 बबलु हरिजन बनाम् अंचल अधिकारी, रजौन है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, रजौन के पत्रांक–1306 दिनांक–20.12.17 एवं पत्रांक 159 दिनांक–09.02.2018 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। सुनवाई तिथि को अपीलार्थी एवं अंचल अधिकारी, रजौन उपस्थित है। परिवाद अतिक्रमण हटाने से संबंधित है तथा परिवाद के आलोक में अंचल अधिकारी को भी सुना गया। अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन है कि खाता सं0–149, खेसरा सं0–423 गैरमजरूआ बिहार सरकार भूमि के संबंध में दिनांक– 29.11.17 को थानाध्यक्ष, रजौन, ग्रामीणों, अंचल अमीन, राजस्व कर्मचारी एवं पंचायत प्रतिनिधि के समक्ष अपीलकर्त्ता 15 फीट का अतिक्रमण मुक्त रास्ता पाकर सहमत हुए एवं उक्त सभी की हस्ताक्षरित सहमति की गयी। अपीलकर्त्ता को अपने जमीन पर आने जाने हेतु अब कठिनाई नहीं रह गया है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के साथ संलग्न साक्ष्य के अनुसार दिनांक–29.11.17 को अतिक्रमण मुक्त करने के समय अपीलार्थी बबलु हरिजन उपस्थित रहे थे। अन्य के साथ अपीलार्थी का सहमति हस्ताक्षर दिनांक–29.11.2017 किया गया है। अतः अंचल अधिकारी, रजौन के प्रतिवेदन के आलोक में विचारोपरांत अपीलार्थी का परिवाद युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है। इसे अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित (हस्ताक्षर) जिला पदाधिकारी, बांका (हस्ताक्षर) जिला पदाधिकारी –सह– द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, जिला लोक शिकायत निवारण, बांका।	

D:\Legal Section\Niranjan 2015-16\Oct2016\DM Court Order.docx